संख्या-87/2018/2958 ई-2/तेरह-2018-81/2015

प्रेषक,

वेद प्रकाश राय,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक 29 सितम्बर,2018

विषय:-मेसर्स एस0बी0ई0सी0 बायो एनर्जी लि0, मलकपुर बागपत को आसवनी स्थापना हेतु निर्गत पी0डी0-33 की वैधता जून,2019 तक बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-71/दो-प्रा0डी0-79, दिनांक 07 नवम्बर,2017, पत्र संख्या-जी-110/दो-प्रा0डी0-79, दिनांक 16 फरवरी,2018, पत्र संख्या-जी-09/दो-प्रा0डी0-79, दिनांक 24 अप्रैल,2018 एवं पत्र संख्या-जी-65/दो-प्रा0डी0-79, दिनांक 29 अगस्त,2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया आपके उक्त पत्रों द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य के औद्योगिकहित एवं राजस्वहित में मेसर्स एस0बी0ई0सी0 बायो एनर्जी लि0, मलकपुर, जनपद बागपत को 60 किली0 प्रतिदिन औद्योगिक क्षमता की आसवनी के अन्तर्गत बाजार की मांग के अनुसार शोधित आसव, डिनेचर्ड स्प्रिट तथा 60 किली0 प्रतिदिन क्षमता का एब्सोल्यूट अल्कोहल प्लान्ट स्थापित करने हेतु शासनादेश संख्या-3495 ई-2/तेरह-2006-81/2005, दिनांक 02-3-2006 द्वारा प्रदान की गई अनुमति के क्रम में निर्गत पी0डी0-33 अनुज्ञापन को निरस्त करने से पूर्व इकाई के अनुरोध के दृष्टिगत एक अन्तिम अवसर इकाई को इस शर्त के साथ प्रदान किया जाता है कि इकाई द्वारा आदेश निर्गमन की तिथि से एक वर्ष की अवधि के अन्दर प्रश्नगत आसवनी की स्थापना हेतु सम्पूर्ण औपचारिकताएं पूर्ण करनी होंगी अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत आसवनी का पी0डी0-33 अनुज्ञापन आबकारी आयुक्त द्वारा अपने स्तर से निरस्त कर दिया जाए।

तदनुसार कृपया अग्रतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,
(वेद प्रकाश राय)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in